रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1484] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्येष्ठ 2, 1939

No. 1484] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

का.आ. 1676(अ).—केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) यथासंशोधित की धाराओं 3(2), 4(1) तथा 4(4) के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के तहत, एतद्द्वारा श्री ग़ैरूल हसन रिज़वी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

[सं. 1–19/2015–एनसीएम (पार्ट)]

के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

S.O. 1676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Sections 3(2), 4(1) and 4(4) of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) as amended vide the National Commission for Minorities (Amendment) Act, 1995 (44 of 1995), the Central Government hereby nominates Shri Gairul Hasan Rizvi, as Chairperson of the said Commission for a period of three years from the date of assumption of office by him.

[No. 1-19/2015-NCM (Pt.)]

K. C. SAMRIA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

का.आ. 1677(अ).—केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) यथासंशोधित की धाराओं 3(2), 4(1) तथा 4(4) के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के तहत, एतद्द्वारा सुश्री सुलेखा कुम्भारे, श्री सुनील सिंघी, श्री जॉर्ज कुरियन तथा श्री वदा दस्तूर जी खुर्शीद केकोबाद दस्तूर संबंधित व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए उक्त आयोग के सदस्यों के रूप में नामित करती है।

[सं. 1–19/2015–एनसीएम(पार्ट)]

के. सी. सामरिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2017

S.O. 1677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Sections 3(2), 4(1) and 4(4) of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) as amended vide the National Commission for Minorities (Amendment) Act, 1995 (44 of 1995), the Central Government hereby nominates Ms. Sulekha Kumbhare, Shri Sunil Singhi, Shri George Kurian and Shri Vada Dasturji Khurshed Kaikobad Dastoor as Members of the said Commission for a period of three years from the date of assumption of office by the persons concerned.

[No. 1-19/2015-NCM (Pt.)]

K.C. SAMRIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.05.24 17:57:46 +05'30'